राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./एफ–281/2018/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक ई–33/नियु0/लै0टे0/1248/2011/70 दिनांक 07.02.11 के क्रम संख्या 232 पर अंकितानुसार श्री अजय कुमार धाबाई को लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनका पदस्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के अधीन किया गया था तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक 273 दिनांक 21.03.12 के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया, तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 09.09.14 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 733 दिनांक 11.09.14 के द्वारा याचि श्री अजय कुमार धाबाई द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत करने पर अंतिम निर्णय होने तक इनको पूर्व की भांति उस पद पर कार्यरत रखा जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के क्रम में नियुक्त श्री अजय कुमार धाबाई लैब टैक्नीशियन जिन्होने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हें परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 12.09.16 से पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :–

क. स.	पदस्थापन सूची के क्र0 दि0	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि
1.	**आदे0 क्र0 70 दिनांक 07.02.11 के क्रम संख्या–232**	श्री अजय कुमार धाबाई, लैब टेक्नीशियन	सामु0स्वा0केन्द्र मोहनगढ़ (जैसलमेर)	17.10.70	12.09.14	11.09.16

उक्त आदेश प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन जारी किये जा रहे है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./एफ–281/2018/311 दिनांक : 16/05/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक(प्रशा) एवं केस अधिकारी प्रभारी, मुख्यालय।
2. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. श्री संजय कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0स्वा0केन्द्र मोहनगढ़ (जैसलमेर)
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. श्री अजय कुमार धाबाई, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर